(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Rudraprayag

No

Dated
22-02-19

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.501 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of IRR Div PMGSY, Rudraprayag for the Construction of JAVRI TO JAIKANDI(AJAYPUR TO KAKOLA) MOTOR ROAD (3.00 Km) in Rudraprayag district falls within jurisdiction of Jaikand village in Ukhimath tehsil.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.501... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to Vth annexure 23.2, 23, 23.1

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;\

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl:- As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)

प्रपत्र 30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT RUDRAPRAYAG (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Rudraprayag district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. Mangesh Ghildiyal I.A.S deputy commissioner,. Rudraprayag on dated 22-02-19 at time Rudraprayag at Collectrate in which application claiming rights in ..1.501..... area measuring 1.501 hect for the construction of JAVRI TO JAIKANDI(AJAYPUR TO KAKOLA) MOTOR ROAD forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Rudraprayag sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;.Rudraprayag

Dated:.22-02-19

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee

Scanned with CamScanner

परियोजना का नाम :- जनपद रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 किमी०) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, अगस्त्यमुनि

उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग मोटर मार्ग (0.000 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.000हे० सिविल [illegible] भूमि, 1.456 हे० वन पंचायत भूमि, [illegible] निरतारण [illegible] 0.045 हे० भूमि अर्थात कुल 1.501 हे० वन भूमि का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील रुद्रप्रयाग) की दिनांक 20/12/19 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री ....विनोद कुमार जी.... उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में [illegible] सदस्यों [illegible] निम्नानुसार है।

1- श्री परमानन्द जी ..... [illegible] अगस्त्यमुनि HBhatt [illegible]
2- श्री [illegible] ..... उप प्रभागीय वनाधिकारी रुद्रप्रयाग हर्षवर्धन भट्ट [illegible]
3- श्री हर्षवर्धन भट्ट ---- सहायक समाज कल्याण अधिकारी [illegible] सदस्य / [illegible]
4- श्री [illegible] सिंह नेगी ..... डी०डी०ओ० [illegible] सदस्य [illegible]

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.501 हे० वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु [illegible] की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा [illegible] जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम [illegible] प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अगस्त्यमुनि परिक्षेत्र के अन्तर्गत जावरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.501 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

HBhatt
हर्षवर्धन भट्ट
सहायक समाज कल्याण अधिकारी
रुद्रप्रयाग

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- रुद्रप्रयाग ऊखीमठ
जनपद- रुद्रप्रयाग जनपद रुद्रप्रयाग

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील- रुद्रप्रयाग

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:–	जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम ककोला
तहसील ऊखीमठ, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **रूद्रप्रयाग** के अर्न्तगत **जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग परियोजना** के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल सोयम भूमि, **1.456 हे0** वन पंचायत भूमि, तथा मलवा निस्तारण हेतु 0.045 हे0 नाप एवं वन भूमि अर्थात कुल 1.501 हे0 वन भूमि का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जयकण्डी द्वारा दिनांक.20–02–2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ककोला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रपत्र 30.5

दिनांक 20/12/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कांडोला

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	जगदीश प्रसाद भट्ट	जगदीश प्रसाद
2	जीत सिंह	जीत सिंह
3	कुलदीप सिंह नेगी	Kuldeep Singh
4	दमोदर भट्ट	Damodar Bhatt
5	चेतराम भट्ट	चेतराम भट्ट
6	बुद्धिराम भट्ट	बुद्धिराम
7	विष्णु प्रसाद भट्ट	विष्णु प्रसाद
8	शशिराम भट्ट	[illegible]
9	रामभरोसे भट्ट	राम भरोसे भट्ट
10	विनोद प्रसाद भट्ट	Vinod Bhatt
11	जीवाराम भट्ट	जीवाराम
12	मनोज नखवाल	मनोज नेखवाल
13	मनीश भट्ट	मनीश
14	लक्ष्मीदत्त भट्ट	[illegible]
15	श्रीमती गंगू देवी जी	[illegible]
16	श्रीमती सुधा देवी जी	
17	गायत्री देवी जी	
18	सुधा देवी जी	

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:–	**जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम कण्डारा (शेरा)
तहसील ऊखीमठ, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **रूद्रप्रयाग** के अर्न्तगत **जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग परियोजना** के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल सोयम भूमि, **1.456 हे0** वन पंचायत भूमि, तथा मलवा निस्तारण हेतु 0.045 हे0 नाप एवं वन भूमि अर्थात कुल 1.501 हे0 वन भूमि का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जयकण्डी द्वारा दिनांक.20–02–2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम शेरा तोक ग्राम कण्डारा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत ... वि.ख. अगस्त्यमुनि रूद्रप्रयाग
ह0
दि0 25/04/2019

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रपत्र 30.5

दिनांक 20/02/19 को ग्राम सभा की सामान्य बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible], [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	दर्शन लाल	दर्शन लाल
2	[illegible] लाल	[illegible]
3	जगदीश लाल	जगदीश लाल
4	[illegible] लाल	[illegible]
5	[illegible] लाल	
6	[illegible] लाल	[illegible]
7	[illegible] डंगवाली	[illegible]
8	कमला डंगवाली	Kamla [illegible]
9	विमला देवी	
10	हरीश	हरीश रावत
11	विवेक [illegible]	Vivek
12	सोहन लाल	सोहन लाल
13	जीत लाल	जीतलाल
14	राजू देवी	
15		
16		
17		
18		

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 30.5

दिनांक 20/2/13 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत [illegible], [illegible]

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गिरधारी लाल	[illegible]
2	रवेन्द्र	[illegible]
3	पीताम्बर लाल	पीताम्बर
4	गुड्डू लाल	[illegible]
5	गुमान लाल	गुमान लाल
6	रमेश लाल	रमेश लाल
7	गुड्डी देवी	
8	[illegible] लाल	
9	मोत लाल	[illegible]
10	जयपाल लाल	[illegible]
11	कृपाल लाल	[illegible]
12	सवित्रा देवी	[illegible]
13	लीला देवी	लीला देवी
14	कमल चन्द	कमल
15	मनुसुया लाल	[illegible]
16	विजय लाल	[illegible]
17	दिगपाल लाल	[illegible]
18	कुंवर लाल	कुंवर लाल

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 30.4

परियोजना का नाम	:–	जनपद रूद्रप्रयाग में प्रधानमत्री ग्रामीण सडक योजना के अर्न्तगत प्रस्तावित, जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग (लम्बाई 3.00 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र
ग्राम पंचायत का नाम जयकण्डी (अजयपुर)
तहसील ऊखीमठ, जिला रूद्रप्रयाग

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **रूद्रप्रयाग** के अर्न्तगत **जाबरी से जयकण्डी (अजयपुर से ककोला) मोटर मार्ग परियोजना** के निर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.000 हे0 सिविल सोयम भूमि, **1.456 हे0** वन पंचायत भूमि, तथा मलवा निस्तारण हेतु 0.045 हे0 नाप एवं वन भूमि अर्थात कुल 1.501 हे0 वन भूमि का **प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग)** विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जयकण्डी द्वारा दिनांक.20–02–2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जयकण्डी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

प्रधान ग्राम पंचायत
ह0 बन्दना देवी
दि0 24/4/20

प्रपत्र 30.5

दिनांक 20/12/19 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत अजयपुर

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	ब्रजमोहन सिंह S/o रजपाल सिंह	[illegible]
2	ताजवर सिंह S/o देव सिंह	[illegible]
3	प्रेम लाल S/o दिलावर लाल	प्रेमलाल
4	जगदीश सिंह S/o श्याम सिंह	जगदीश सिंह
5	जगत सिंह S/o	
6	धीरेन्द्र सिंह S/o पूर्ण सिंह	[illegible]
7	जसपाल सिंह S/o अमर सिंह	जसपाल सिंह
8	उदय सिंह S/o [illegible] सिंह	[illegible]
9	विजयपाल सिंह S/o कुंवर सिंह	[illegible]
10	देव सिंह S/o तुला सिंह	देव सिंह
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		

Scanned with CamScanner